नवम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उद्यम का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योग एवं व्यापार की भाँति ही कृषि विकास भी वित्त की उपलब्धि पर निर्भर करता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्भ से ही कृषकों को वित्त प्रदान करने तथा उन्हें ऋण से मुक्ति दिलाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते रहे हैं। गैर-संस्थागत वित्तीय संस्थाओं की कमियों को देखते हुए सरकार ने संस्थागत वित्त व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु अनेक कदम उठाये है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों को सुलभ कराने में कई संस्थायें योगदान कर रही है और यह सिलसिला भी सदियों पुराना है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम यह कार्य सहकारी आन्दोलनों के माध्यम से किया जाता था और अभी भी सहकारी संस्थाओं के योगदान को अस्वीकार नही किया जा सकता। वर्ष 1980-81 में कृषि के लिए सहकारी समितियों द्वारा 2028.5 करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष ऋण वितरित किया गया था, जो 1989-90 में 5453.4 करोड़ रूपये हो गया। इसी से इन संस्थाओं के महत्व को समझा जा सकता है। वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सरकारी प्रयासों के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर योजनायें बनायी जाती रही हैं, फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होते हुए भी समुचित गतिशीलता के अभाव में पिछड़ती जा रही है। इसलिए भारत सरकार द्वारा नरसिंहम समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु साख की सुविधा प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 ई0 को किया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण विकास में तीव्रता अवश्य आयी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 2.1 प्रतिशत था, वही उसकी उपलब्धि 3.6 प्रतिशत रही। साँतवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.0 प्रतिशत रखा गया, जबकि उपलब्धि 5.2 प्रतिशत हुई। तात्पर्य यह है कि देश का विकास हो रहा है, किन्तु कई विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में अभी भी कम है।

कृषि व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। कृषि के विकास में कई संस्थायें निरन्तर योगदान कर रही है। राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखायें एवं अन्य वाणिज्य बैंकों के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं का योगदान उल्लेखनीय है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से भारतीय बैंकिंग ग्रामोन्मुखी हो गयी है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना वाणिज्य बैंकों के अधीन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर भूमिहीन एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों और निर्बल आय वर्ग वाले लोगों की आर्थिक दशा में धनात्मक परिवर्तन करना, सक्षम आर्थिक क्रियायें प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक साख की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त ऋण के बोझ से मुक्ति दिलाना है और साहूकारों एवं महाजनों के वर्चस्व को समाप्त करना है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विशेषता यह है कि इनका स्वरूप स्थानीय होता है। इस कारण इनको ग्रामीण आवश्यकताओं आदि का पूर्ण ज्ञान रहता है, उसी के अनुरूप ये कार्य भी करते है। 1994-95 तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके और वे ग्रामीण समुदाय को लगभग 4000 करोड़ रूपये वार्षिक उधार

के रूप में उपलब्ध कराते रहे है। इन बैंकों के ऋण का 90 प्रतिशत ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गो को दिया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थिति आज ऐसी है कि इससे देश का लगभग हर व्यक्ति जुड़ गया है। इन बैंकों द्वारा ग्रामीण बचतों को एकत्र कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर लगाया जा रहा है। अब ग्रामीण अंचल में लोगों को रूपया जमा करने का एवं ऋण लेने का तौर-तरीका मालूम हो गया है। अब लोग अपनी इच्छानुसार कोई भी रोजगार चुनकर बैंकों के पास आवेदन कर सकते है और बैंक निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उन्हें आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध कराते है। इन बैंको के योजनाओं जैसे- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ट्राइसम योजना आदि के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उनके तहत ऋण लेकर अपना स्वतंत्र रोजगार शुरू करके अपना जीवन-स्तर सुधार करता है। बैंक उनकी हर संभव सहायता करने के लिए अपना दरवाजा खोले हुए है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रृंखला में जब हम वाराणसी जनपद पर दृष्टिपात करते है तो पाते हैं कि यहाँ के ग्रामीण विकास को लक्ष्य करके काशी ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी है। काशी ग्रामीण बैंक की स्थापना 1980 में की गयी। इसकी शाखाओं की संख्या जहाँ 1980 में 2 थी वही वर्ष 1995 में 79 हो गयी। इसकी स्थापना यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से की गयी है, जो काशी ग्रामीण बैंक का प्रयोजक बैंक है। इस बैंक की जमाराशि में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। काशी ग्रामीण बैंक की जमा राशियाँ वर्ष 1981 में 49.37 लाख रूपये थी, जो 6390 खातों में जमा थी, इसकी राशि में भारी वृद्धि होकर वर्ष 1995 के अन्त में 8205.31 लाख रूपये हो

गयी, जो कि 232188 खातों में जमा हुई। फिर भी जनपद में ग्रामीण बेराजगारी, गरीबी एवं जनसंख्या इतनी अधिक मात्रा में है कि अकेले काशी ग्रामीण बैंक का अथक प्रयास सराहनीय होते हुए भी अल्प ही है। ऐसी अवस्था में भी ग्रामीण विकास निरन्तर हो रहा है, लेकिन काशी ग्रामीण बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नही कही जा सकती, क्योंकि वर्ष 1995 के दौरान बैंक का घाटा बढ़कर 218.31 लाख रूपये हो गया, जबकि बैंक को 1980 में 43 हजार रूपये लाभ प्राप्त हुआ था।

हानि के प्रमुख कारणों में स्थापना व्ययों में वृद्धि, संचित हानि के कारण चुकता पूँजी का समाप्त होना, बैंक का उपलब्ध सीमित कार्यक्षेत्र, मियादी जमा का उच्च अनुपात एवं वसूली प्रमाण पत्रों एवं वाद दायर खातों की संख्या में बढ़ोतरी है।

फिर भी इसकी प्रगति संतोषजनक है। इस बैंक द्वारा अपनायी गयी ऋण योजना से वाराणसी जनपद के कमजोर वर्गो, लघु सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, लघु व्यापारियों एवं उद्यमियों के लाभ में वृद्धि हुई है और लगातार हो भी रही है। बैंक द्वारा समाज के निम्न से निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के इस कार्यक्रम से जहाँ लोगों को आसानी से ऋण की सुविधाएँ प्राप्त हुई है, वही महाजनों के पैतृक ऋण से छुटकारा भी मिला है। निःसन्देह काशी ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

काशी ग्रामीण बैंक द्वारा अल्पावधि फसली ऋण दिये गये है। इसके अन्तर्गत फसल उत्पादन से सम्बन्धित सभी मदों, जैसे- बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों के क्रय, कृषि कार्य में प्रयुक्त श्रमिकों की मजदूरी का

भुगतान आदि है। वर्ष 1981 में जनपद में जहाँ 233 ऋणकर्ताओं को 2.92 लाख ऋण राशि दी गई वहीं वर्ष 1995 में 4248 ऋणकर्ताओं को 220.22 लाख ऋण राशि दी गई।

मियादी कृषि ऋणों को प्राप्त करने वाले 1981 में केवल 31 लोग थे। वर्ष 1995 में इनकी संख्या बढ़कर 984 हो गयी। ऋण राशि 1981 में 1.91 लाख थी, जो 113.15 लाख वर्ष 1995 में हो गयी।

गैर कृषि मियादी ऋण भी काशी ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान किए गए है। वर्ष 1981 में गैर कृषि मियादी ऋणकर्ताओं की संख्या 178 थी जो कि 1995 में 11096 हो गयी। इसके अन्तर्गत वितरित ऋण राशि 1981 में 4.06 लाख रूपये थी जो कि 1995 में 531.76 लाख रूपये हो गयी।

काशी ग्रामीण बैंक द्वारा परोक्ष कृषि ऋण भी वितरित किए गये। वर्ष 1981 में 9 ऋणकर्ताओं को 35 हजार रूपये का ऋण दिया गया, जो वर्ष 1995 में बढ़कर 16.67 लाख हो गया तथा 176 लोगों को दिया गया।

अध्ययन के सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि काशी ग्रामीण बैंक द्वारा दिये गये कुल ऋणकर्ताओं में से लगभग 47 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में कृषि से संलग्न है। 53.0 प्रतिशत ऋणकर्ताओं ने गैर कृषि ऋण प्राप्त किया है। काशी ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित कृषि ऋण सम्बन्धी कार्यो में कई कठिनाइयाँ भी आ जाती है जो इस प्रकार है-

कृषि ऋण सम्बन्धी समस्या यह आती है कि कृषि कार्यो हेतु अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति सुचारू रूप से नहीं होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऋण की आवश्यकता समाप्त हो जाने पर ऋण की स्वीकृति होती है। यदि समय पर ऋण की प्राप्ति कृषकों को नहीं होती, तो फसली

ऋण का महत्व नही रह जाता। उचित समय और उचित मात्रा में ऋण वितरण न हो सकने के कारण कृषकों को अपेक्षित लाभ भी नही मिल पाया है, जिससे उत्पादकता भी प्रभावित होती है। अत: कृषकों को उचित समय पर ही बैंक से ऋण प्राप्त हो सके इसके लिए बैंक को अपने कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए।

प्राय: यह देखा जाता है कि ऋणों का प्रयोग ऋण लेने वाला अन्य मदों पर कर देता है। फलस्वरूप, बैंक को जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप कृषकों को दो तरफा हानि होती है, एक तो कृषि उत्पादन में वृद्धि प्रभावित होती है, दूसरे प्राप्त ऋणों का व्यय कृषियेत्तर ऋणों में हो जाने से वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यदि फसली ऋणों का प्रयोजन पूर्व प्रयोग हो, तो निश्चित ही कृषि में अपेक्षित सुधार होगा। फसली ऋण का चक्रवार प्रयोग किया जाय, इससे भी लाभ होगा। इसके लिए राजकीय एवं बैंकिंग मशीनरियों को और गतिशील बनाया जाना चाहिए। यह भी काशी ग्रामीण बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषक यदि ऋण लेता है, तो उसका दुरूपयोग न करने पाये।

इसके अतिरिक्त अनावश्यक कागजी अड़चनों को समाप्त करके ऋण व्यवस्था को सरल एवं लचीला भी करने की जरूरत है, ताकि फसली ऋण का उपयोग निर्धारित कार्यो में किया जाय और उत्पादन लक्ष्य की पूर्णरूपेण प्राप्ति हो सके।

अगली समस्या यह आती है कि बैंक कृषि कार्यो के लिए ऋण की राशि में कमी कर देता है। फलस्वरूप ऋणकर्ता या तो अपने परियोजना को पूरा नहीं कर पाता या उसे अन्य स्रोतो पर निर्भर करना होता है। ऐसी दशा

में निश्चित ही ग्रामीण विकास बैंक अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाते है। इसके समाधान के लिए बैंक को पूरी परियोजना लागत व्यय को ध्यान में रखते हुए ऋण प्रदान करना चाहिए।

काशी ग्रामीण बैंक लघु एवं सीमान्त कृषकों को भैंस पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, डेयरी उद्योग के लिए, मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। इन ऋणों की मात्रा में बढ़ोतरी अतिआवश्यक है। इन ऋणों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऋणकर्ता को लाभ होता है। इसमें समस्या के रूप में यह बात सामने आयी है कि कृषकों को उचित प्रशिक्षण के अभाव में पशुओं आदि का ज्ञान नही रहता है। इस कारण अधिकतर लाभ की जगह हानि उठानी पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में उचित पात्र का चयन एवं ऋण प्राप्ति को सरल बनाकर बैंक को उद्देश्य पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। समय-समय पर सम्बन्धित उद्योग विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन की भी व्यवस्था करने से लाभ मिल सकता है।

अगली समस्या सबसे गम्भीर है, जो समय से ऋण की वापसी से सम्बन्धित है। सूखा, अतिवृष्टि व अन्य बिमारियों आदि के कारण या तो फसल पूर्णतया नष्ट हो जाती है या उत्पादन कम होता है जिससे कृषकों की ऋण भुगतान क्षमता कम हो जाती है। समय से ऋण की वसूली न होने पर कृषकों पर ऋण का बोझ बढ़ता जाता है और बैंकों के पास उपलब्ध वित्त कम होता जाता है जिससे उनके ऋण देने की क्षमता में कमी आ सकती है। बैंक को इस समस्या के समाधान के लिए चाहिए कि वे पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करें जो कृषकों को उधार दी गयी राशि के अन्तिम

उपयोग का पर्याप्त पर्यवेक्षण करें। साथ ही ऋण वसूली में राजनैतिक हस्तक्षेप रोका जाना चाहिए।

यह सत्य है कि काशी ग्रामीण बैंक क्षेत्र के कृषकों के समस्त वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः एक निश्चित समय के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार आवेदनपत्र स्वीकार किए जाए तथा सूक्ष्म जाँच पड़ताल के बाद ही यथाशीघ्र ऋण का वितरण किया जाए। साथ ही बैंक अधिकारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करें। बैंक यह भी निश्चित करें कि जिस मद के लिये ऋण दिया जा रहा है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। बैंक द्वारा कृषकों को वांछित ऋण की आपूर्ति किया जाना चाहिए। इस प्रकार काशी ग्रामीण बैंक के क्रियान्वयन से कृषि विकास सम्बन्धी जो समस्याएँ है उन्हें दूर करके इसको और भी विकासोन्मुख बनाया जाना चाहिए, जिससे कृषि का विकास द्रुतगति से हो सकेगा।

कृषि विकास के अन्तर्गत काशी ग्रामीण बैंक का योगदान सराहनीय है। यह बैंक भू-स्वामियों को तो ऋण प्रदान करता ही है। इसके अतिरिक्त, भूमिहीन श्रमिकों, कारीगरों आदि के साथ-साथ लघु एवं कुटीर उद्यमियों को भी ऋण की लगातार व्यवस्था कर रहा है।

काशी ग्रामीण बैंक की उपलब्धियों को लघु औद्योगिक क्षेत्र में भी नकारा नही जा सकता। स्थापना के समय जहाँ 1981 में केवल 12 व्यक्तियों को ऋण का लाभ मिल रहा था, वही 1995 में 11177 व्यक्तियों को जनपद में उद्योग लगाने और उसे सुचारू रूप से चलाने का दायित्व काशी ग्रामीण बैंक वहन कर रहा है। जहाँ वर्ष 1981 में बैंक द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का

केवल 2.1 प्रतिशत ही लघु एवं कुटीर उद्योगों को दिया जाता था, वही वर्ष 1995 में यह राशि बढ़कर कुल प्रदत्त ऋण का 15.1 प्रतिशत हो गई। सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि लघु उद्यमियों को दिये जाने वाले ऋण से लगभग 75 प्रतिशत लोग लाभान्वित हुए है और उनके व्यवसाय में वृद्धि हुई है। परन्तु, कृषि स्तर व्यवसायों से सम्बन्धित समस्याएँ भी कम नही है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक धन्धों सम्बन्धी एवं अन्य व्यवसायिक समस्याएँ आती है। औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित समस्या यह आती है कि विकास खण्ड स्तर पर ऋण से सम्बन्धित आवेदन पत्र जिला औद्योगिक केन्द्र के द्वारा बैंक को अग्रसारित किये जाते है। जिला औद्योगिक केन्द्र से यह देखे बिना कि परियोजना की वास्तविक आवश्यकता कितनी है तथा कार्य को सम्पादित करने में व्यक्ति को कितनी क्षमता है, आवेदन पत्र अग्रसारित कर दिए जाते है। इसका परिणाम यह होता है कि बैंक ऐसे आवेदन पत्रों पर अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाता है। फलस्वरूप औद्योगिक विकास की गति धीमी है। इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि आवेदन-पत्र को अग्रसारित करने के पूर्व ऋणकर्ता के वास्तविक वित्तीय आवश्यकता का आकलन करे तथा यह देख लें कि व्यक्ति में उस कार्य से सम्बन्धित जानकारी है कि नहीं।

उद्योगों से सम्बन्धित समस्या यह आती है कि प्रायः आवेदन-पत्र अग्रसारित करने के पूर्व जिला औद्योगिक केन्द्र यह नही देखते है कि ऋणकर्ता के ऊपर किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं की बकाया राशि है या नही। इसका उल्लेख आवेदन-पत्र में होना चाहिए जिससे बैंक अपने स्तर पर ऋण की स्वीकृति के लिए विचार कर सके।

बैंक ऋणकर्ता को औद्योगिक इकाइयों के लिए स्थिर पूँजी व कार्यशील पूँजी के रूप में ऋण प्रदान करता है लेकिन उसे प्रारम्भिक ऋण प्राप्त नही होता है। ऐसी स्थिति में या तो दूसरे संस्था से ऋण प्राप्त करते है या फिर महाजन से ऊँची ब्याजदर पर। अतः क्षेत्र में उद्योगों के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि बैंक को स्थिर पूँजी के साथ-साथ कार्यशील पूँजी की आपूर्ति लगातार करनी चाहिए।

उद्योगों के सम्बन्ध में सबसे गम्भीर समस्या आवश्यकता से कम ऋण की राशि का प्राप्त होना है। ऐसी स्थिति में ऋणकर्ता को आवश्यक धन की पूर्ति के लिए अन्य स्रोतों का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि बैंक द्वारा परियोजना लागत व्यय के अनुसार ऋण राशि की स्वीकृति की जानी चाहिए। अतः काशी ग्रामीण बैंक को उपभोक्ताओं के हित में अधिकाधिक ऋण प्रदान करने के लिए ठोस उपाय करना होगा।

ग्रामीण उद्योगों के समुचित विकास के मार्ग में एक समस्या यह उठती है कि इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खपत नियमित नहीं है अर्थात् नियमित बाजार का अभाव है। दोषपूर्ण विक्रय के फलस्वरूप लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। साथ ही साथ ग्रामीण कारीगरों को बाजार प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में काशी ग्रामीण बैंक का यह दायित्व बनता है कि ऋण वसूली में रियायत बरते तथा साथ ही साथ चेतावनी पत्र देता रहे। एक दो किस्त न देने की अवस्था में वास्तविक स्थिति का पता लगाकर ही अग्रिम कार्यवाही करे। यदि ऋणकर्ता एकदम ऋण देने में असमर्थ हो तो ऋण की समयावधि को बढ़ाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए

कृषि ऋण की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में बकाया ऋण की कम समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि बैंक द्वारा समय-समय पर ऋण अदायगी के लिए ऋणकर्ता को सूचित करते रहना चाहिए।

औद्योगिक विकास से सम्बन्धित जो भी समस्याएँ हैं उसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। बैंक को औद्योगिक इकाइयों को उदारवादी रणनीति अपना कर ऋण देना चाहिए। आवेदन-पत्र प्राप्त करते समय बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋणकर्ता द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए जो आवेदन दिया जाता है उसकी क्या आर्थिक स्वरूप है तथा उद्योग को चलाने के लिए क्या ऋणकर्ता के पास आवश्यक जानकारी तथा अन्य साधन उपलब्ध है? काशी ग्रामीण बैंक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कार्य करते रहना चाहिए तथा साथ-साथ प्रशिक्षण आदि की भी गारण्टी के साथ ऋण दिया जाय तो आश्चर्य नहीं की कुटीर उद्योगों की प्रगति में वृद्धि होने लगेगी चूँकि अधिकतर ऋणकर्ता गरीब होते है, वे समुचित प्रशिक्षण के अभाव में ऋण का बोझ तो उठा लेते है लेकिन उसको ढोने में असमर्थ हो जाते है। इसप्रकार बैंक को उसी चयनित व्यक्ति को ऋण देना चाहिए जो जागरूक हो और ऋण अदा करे।

काशी ग्रामीण बैंक ने स्वरोजगार हेतु भी ऋण प्रदान किया है, जिससे ग्रामीण कारीगर, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, कुम्हार, कृषि उपयोगी वस्तुओं के निर्माणकर्ता, बांस के संसाधन बनाने वाले कारीगर, डोरी-रस्सी निर्माताओं आदि के लिए अच्छे एवं सरल ऋण की व्यवस्था है। स्वरोजगार के लिए 1981 में काशी ग्रामीण बैंक ने 898 लोगों को ऋण के रूप में 15.64 लाख रूपये दिये। यह राशि बढ़कर 1995 में 2285.60 लाख रूपये हो गयी। सर्वेक्षण से

निष्कर्ष निकला है कि स्वरोजगार के क्षेत्र में ऋण वितरण का लाभ लोगों को मिला है। परन्तु इससे सम्बन्धित काफी समस्याएँ भी है-

स्वरोजगार के क्षेत्र में काशी ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण दस्तकारों को ऋण वितरित किया गया है, किन्तु इसमें अनेक समस्याएँ है। अधिकतर देखा जाता है कि ग्रामीण दस्तकारों को ऋण प्राप्ति के लिए वित्त की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसी स्थिति में ग्रामीण दस्तकार अपना रोजगार नहीं सृजित कर पाते। इससे उत्पादन प्रभावित होता है। अधिकांश ऋणी ऋण लेने के लिए बैंक में प्रत्यक्ष रूप में नही जा पाते, वे बिचौलियों के माध्यम से बैंक से सम्पर्क करते हैं। ऐसी अवस्था में असली ऋणकर्ता की जानकारी बैंक के पास नहीं रहती है। ऐसी दशा में बैंक को समय-समय पर अपने कार्य क्षेत्र में ''ग्राहक सेवा'' सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित करना चाहिए और उस दिन बैंक के कार्यकलापों की जानकारी क्षेत्र के व्यक्तियों को देनी चाहिए। बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण लेने वाला पात्र सही है या गलत है। क्षेत्र विकास अधिकारी के माध्यम से उस पात्र का चुनाव अच्छा होगा। इससे ऋण की दुरूपयोग की सम्भावना नहीं रहेगी। बैंक को समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए जिससे ऋण के दुरूपयोग को रोका जा सके।

सड़क परिवहन चालक में संलग्न ऋणकर्ताओं के सम्मुख एक समस्या यह आती है कि वे बैंक ऋण के सहयोग से टेम्पो, छोटे व मध्यम आकार के ट्रक आदि तो प्राप्त कर लेते है, लेकिन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा लाइसेंस न दिये जाने पर वे वाहन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बैंक को चाहिए की ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन चलाने से

सम्बन्धित अन्य अपेक्षाएँ को पूरा करने वाले आवेदनकर्ताओं को ही ऋण स्वीकार करना चाहिए।

स्वनियोजित क्रिया-कलापों के अन्तर्गत यह देखा जाता है कि डाक्टर, वकील, सायकिल मिस्त्री, मोटर सायकिल बनाने वाले इत्यादि बैंक से नगद ऋण प्राप्त कर लेते है तथा उसका उपयोग अनुपयोगी कार्यो में करते है। ऐसी अवस्था में ऋण आवश्यक व्यक्ति को नहीं मिल पाता। काशी ग्रामीण बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त पात्र को ही ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके। इन समस्याओं के समाधान से ही विकास के लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती भी इन्हीं प्रयासों पर निर्भर है।

लघु व्यवसाय के सम्बन्ध में एक समस्या यह आती है कि बैंक आवेदनकर्ता को आवश्यकता से कम धनराशि की स्वीकृति करता है। साथ ही ऋण की स्वीकृति में देर भी किया जाता है। इन व्यवसायों को विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि बैंक उद्देश्य को ध्यान में रखकर यथाशीघ्र ऋण की स्वीकृति करें। साथ ही ऋण का सदुपयोग हो इसके लिए बैंक को समय-समय पर सर्वेक्षण कराना चाहिए। लघु व्यापारियों को व्यापार प्रारम्भ करने के लिए ही वित्त की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें वृद्धि करने के लिए भी पुर्नवित्त प्रदान करना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि काशी ग्रामीण बैंक एक बार ऋण प्रदान करने के बाद उसकी वसूली में ही परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर काशी ग्रामीण बैंक को यह चाहिए कि व्यापारियों को दुकान, स्टॉक की सुविधा एवं विपणन इत्यादि की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करे।

इस प्रकार कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों के विकास में जो समस्याएँ है, उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। यद्यपि ग्रामीण विकास के लिए समय से साख उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है, लेकिन मात्र साख से ही अपेक्षित परिणाम हासिल नही किए जा सकते है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अन्य संस्थाओं का सहयोग मिलता रहे तथा लोगों (ग्रामीण) द्वारा व्यक्तिगत रूचि प्रदर्शित किया जाय।

अन्य समस्याएँ जो अधिकांश क्षेत्रों में परिलक्षित होती हैं, वे ऋण प्राप्ति से लेकर परियोजना संचालन के समय तक आती है। यह भी स्वाभाविक है कि प्रत्येक गाँव में बैंक की शाखायें नहीं खोली जा सकती। अतः कहीं-कहीं बैंक की शाखायें ही नहीं पायी जाती। वाराणसी जैसे विशाल क्षेत्र में काशी ग्रामीण बैंक की कुल 79 शाखायें ही कार्यरत है, जो कि कुछ कम ही हैं। बैंक शाखाओं की अनुपलब्धता से भी जरूरतमन्द लोग ऋण नहीं प्राप्त कर पाते। बैंक की स्थापना के खर्च को देखते हुए यह सम्भव भी नही है कि शाखाओं में वृद्धि की जाय। इसके लिए यही पर्याप्त होगा कि बैंक के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बैंक कर्मचारियों को समय-समय पर ऋण सम्बन्धी बैंक की नीतियों के बारे में ग्रामीण समुदाय को समझाना एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे ग्रामीण जनता को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

शोधकर्ता द्वारा कुछ गाँवों के सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि होती है कि जनपद के आर्थिक विकास में काशी ग्रामीण बैंक का योगदान सराहनीय रहा है और यह भी स्पष्ट हुआ है कि, यदि काशी ग्रामीण बैंक इसी प्रकार विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहेगा और उसका सही प्रक्षेपण होता रहा तो

वह दिन दूर नहीं कि जनपद का प्रत्येक गाँव ही नहीं, अपितु प्रत्येक घर लाभान्वित होकर विकास की चरम गति को प्राप्त होगा तथा आर्थिक स्तर में सुधार-उन्नति के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ होगी जो कृषि पर पूरी तरह आश्रित है।

परन्तु अभी काशी ग्रामीण बैंक को इस जनपद की विशालता एवं जनसंख्या की बहुलता को देखते हुए विकास के लिए बहुत कुछ नवीनतायें लानी होगी तभी सर्वाङ्.गीण विकास सम्भव है। जनपद में ऋणकर्ताओं के साथ साक्षात्कार से यह भी निष्कर्ष निकला है कि यह बैंक जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल पायी है। इसका एक ही कारण समझ में आता है कि बैंक की कार्यप्रणाली की जटिलता और अन्य वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण बैंक का कार्य कठिन हो गया है। काशी ग्रामीण बैंक की नीतियों में कुछ कमियाँ, जैसे कागजी कार्यवाही और इसके चलते ऋण मिलने में कठिनाईयाँ तथा विलम्ब बहुत महत्वपूर्ण हैं। जनता का भी भरपूर सहयोग न मिलने के कारण बैंक शत-प्रतिशत सफल नहीं रहा है, क्योंकि काशी ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण की वसूली में काफी ढ़िलाई बरतने के फलस्वरूप बैंक करोड़ों रूपये के घाटे में चल रहा है।

काशी ग्रामीण बैंक द्वारा अपनायी गयी ऋण योजना से वाराणसी जनपद के कमजोर वर्गों, लघु सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, लघु व्यापारियों एवं उद्यमियों के लाभ में वृद्धि हुई है और लगातार हो रही है, जो सर्वेक्षण से भी स्पष्ट है। बैंक द्वारा समाज के निम्न से निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के इस कार्यक्रम से जहाँ लोगों को आसानी से ऋण की

सुविधाएँ प्राप्त हुई है, वहीं महाजनों के पैतृक ऋण से छुटकारा भी मिला है। नि:सन्देह काशी ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया हैं। फिर भी वर्तमान समय में काशी ग्रामीण बैंक द्वारा वित्त प्रदान करने के सन्दर्भ में अनेक समस्यायें विद्यमान है जिनका निवारण कार्य पद्धति में सुधार करके सम्भव है।

*****